न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रैगर आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 281/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पवन पुत्र श्री जगराम जाति विश्नोई निवासी लाखेटा तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।		भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार बापिणी

प्रार्थी की ओर से :- अधिवक्ता श्री राजेश खीचड उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांक– 9.1.19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 865 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 951 रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 957 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 958 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 959 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 861 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा, ग्राम लाखेटा, पटवार हल्का मतोडा व खसरा नम्बर 637 रकबा 246 बीघा 02 बिस्वा मौजा ग्राम रायमलवाडा तहसील बापिणी, जिला जोधपुर की सरहद मे आई हुई है। मेरी उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड मे राजस्व कर्मचारियों की भूलवश मेरा नाम कालूराम कर दिया गया जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम पवन पुत्र श्री जगराम है तथा मेरे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता इत्यादि मे मेरा नाम पवन दर्ज है। जिसकी प्रतियां संलग्न है तथा मेरे पिताजी के कालुराम नाम से कोई सन्तान नही है मेरा नाम ही पवन के स्थान पर कालूराम दर्ज हुआ है, तथा ग्राम रायमलवाडा के खसरा नम्बर 637 के राजस्व रेकर्ड मे मेरे नाम के आगे नाबालिक दर्ज है। जबकि वर्तमान मे मै बालिक हूं। राजस्व कर्मचारियों की भूलवश मेरा नाम कालूराम गलत दर्ज कर दिया गया है जिसको मैं अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहता हूं। जो इन दस्तावेजों से बखूबी पवन प्रमाणित होता है। राजस्व रेकर्ड मे नाम अशुद्ध होने के कारण राजस्व रेकर्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों मे एकरूपता नहीं होने से मुझे परेशानी का सामना करना पडा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे नाम शुद्ध करवाना चाहता हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:57 IST
Reason: SelfAttested

जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 865 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 951 रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 957 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 958 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 959 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 861 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा, ग्राम लाखेटा, पटवार हल्का मतोडा व खसरा नम्बर 637 रकबा 246 बीघा 02 बिस्वा मौजा ग्राम रायमलवाडा तहसील बापिणी, जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम कालुराम पुत्र जगराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम पवन पुत्र जगराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती किये जाने तथा ग्राम रायमलवाडा के खसरा नम्बर 637 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी को नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कालुराम के स्थान पर पवन दर्ज करने हेतु अनुशंषा की। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 865 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 951 रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 957 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 958 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 959 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 861 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा, ग्राम लाखेटा, पटवार हल्का मतोडा व खसरा नम्बर 637 रकबा 246 बीघा 02 बिस्वा मौजा ग्राम रायमलवाडा तहसील बापिणी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कालुराम पि. जगराम नाबालिक के स्थान पर पवन पि. जगराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक .... [illegible] सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:57 IST
Reason: SelfAttested